201

संख्या–388 /XXVIII(1)/2012-16(Para)/2007 TC

प्रेषक,

सुभाष कुमार
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड, शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय,
चिकित्सा शिक्षा इकाई,
107,चन्दर नगर देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–01 देहरादूनः दिनांक 03 ~~मार्च~~ अप्रैल 2012

विषयः– **विभिन्न निजी नर्सिंग संस्थानों को आवश्यकता/अनापति प्रमाण पत्र दिये जाने हेतु निरीक्षण मानकों का निर्धारण किया जाना।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में नये नर्सिंग संस्थान खोले जाने हेतु इण्डियन नर्सिंग काउन्सिल ने अपने परिपत्र F. No.1-5/GB-CIR/2007-INC, दिनांक 26.08.2010 द्वारा नर्सिंग संस्थानों को खोले जाने हेतु नये प्रस्ताव पर आवश्यकता/अनापत्ति प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा दिये जाने के लिए यह दिशा निर्देश सुनिश्चित किया है कि जिस स्थान पर नर्सिंग संस्थान खोला जाए उससे 30 किमी की परिधि के अन्दर 120 शैय्याओं का चिकित्सालय उपलब्ध होना चाहिए। एक अनुपात तीन का छात्र मरीज अनुपात, संस्थान द्वारा भू–स्वामित्व, वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होना एवं अन्य दिशा निर्देश निर्धारित हैं, को समाहित करते हुए शासनादेश संख्या–329/चि0–2–2003–52/2003 दिनांक 12.03.2003 तथा शासनादेश संख्या–724/XXVIII-3-2010-98/2010 दिनांक 24.09.2010 निर्गत किये गये।

उपरोक्त के अनुसार नर्सिंग संस्थानों को आवश्यकता/अनापत्ति प्रमाण दिये जाने के प्रयोजन हेतु उक्त शासनादेशों के मानकों को समाहित करते हुए निम्नलिखित मानक (आई0एन0सी0 के अधुनान्त मानकों के साथ पठित) स्थापित किये जाते हैं, जिनके आधार पर इन नये संस्थानों हेतु आवश्यकता प्रमाण पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत किया जायेगाः–

1. निजी नर्सिंग संस्थान की स्थापना के प्रस्ताव हेतु प्रस्तावक संस्था से (सोसाइटी एक्ट 1860 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड सोसाइटी/वक्फ बोर्ड/रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट /प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी) द्वारा प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में रू0 25,000/– की दर से आवश्यक धनराशि बैंक ड्राफ्ट महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पक्ष में देय होगा, के रूप में अपने आवेदन पत्र के साथ जमा की जायेगी, जिसे महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं

परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के माध्यम से राजकीय कोष में जमा कराया जायेगा। यह शुल्क अगले शैक्षणिक सत्र के लिए मान्य होगा तथा उक्त प्रोसेसिंग शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

2. निजी नर्सिंग संस्थान स्थापित किये जाने हेतु आवश्यक है कि प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसी अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्था हो:–

   (1) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–21 सन् 1860) या

   (2) भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–02 सन् 1882) या

   (3) कम्पनी अधिनिमय 1956 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–01 सन् 1956) की धारा–25 के अधीन।

   उपरोक्त के अतिरिक्त केवल केन्द्र सरकार/राज्य सरकार तथा केन्द्र या राज्य सरकार के उपक्रम एवं वक्फ बोर्ड ही नर्सिंग संस्थान खोलने हेतु पात्र होगें।

3. संस्थान के पास अपनी स्पष्ट भू–स्वामित्व की 3 एकड़ भूमि या कुल 54470 वर्ग फीट कवर्ड एरिया का भवन, जिसमें 23720 वर्ग फिट संस्थान हेतु तथा 30750 वर्ग फिट हॉस्टल हेतु होना अनिवार्य है। भवन का मानचित्र भी सक्षम अधिकारी से अनुमोदित होना चाहिए।

4. स्थान से अधिकतम 30 किलो मीटर दूरी तक की रेंज में कम से कम 120 बिस्तरों का अपना स्वंय का या एफिलेटेड चिकित्सालय उपलब्ध होना चाहिए। छात्र तथा मरीजों की संख्या का अनुपात 1:3 रहेगा।

5. प्रस्तावक संस्था द्वारा संस्था के कार्यकारी सदस्यों में कम से कम एक सदस्य नर्सिंग शिक्षा क्षेत्र के अनुभवी व्यक्तियों में से होना आवश्यक होगा।

6. निजी नर्सिंग संस्थान स्थापित किये जाने हेतु प्रस्तावक संस्था द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) में निम्नांकित विवरण सम्मिलित किया जायेगा:–

   - संस्था के पंजीकृत होने का प्रमाण, संविधान एवं नियमावली।
   - प्रस्तावक संस्था के आय के स्त्रोत तथा विगत् तीन वर्षो की संपरीक्षित लेखा रिपोर्ट (तीन वर्ष से कम अवधि में स्थापित संस्थाएं उतने ही वर्षो की संपरीक्षित लेखा उपलब्ध करायेगी, जितने वर्ष उसकी स्थापना के पश्चात् पूर्ण हुए हों (यदि कोई हों))
   - प्रस्तावक संस्था की नर्सिंग शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव/कार्यकारी सदस्यों में से किसी एक सदस्य का नर्सिंग शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव का साक्ष्य।
   - उत्तराखण्ड राज्य में विशेषकर जनपद विशेष में नर्सिंग संस्थान की स्थापना की आवश्यकता, महत्व, लाभ –पारिस्थितिक विश्लेषण एवं राज्य के विकास में नर्सिंग संस्थान का प्रस्तावित योगदान दर्शाते हुए Feasibility Report.

- प्रस्तावित नर्सिग संस्थान की संदृष्टि, ध्येय एवं उद्देश्य।
- प्रस्तावित नर्सिग संस्थान के मुख्यालय एवं मुख्य कैम्पस (Main Campus) का स्थान।
- प्रस्तावक संस्था के प्रर्वतकों (Promoters) की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति न्यूनतम रू0 3.00 करोड़ शुद्ध सम्पत्ति (Net-worth) कम से कम तीन वर्षो का प्रमाण यथा–चार्टेड एकाउटेन्ट द्वारा सत्यापित बैलेंस शीट, Wealth Tax Return (प्रर्वतन द्वारा संस्था की चल–अचल सम्पत्ति किसी भी उद्देश्य हेतु गिरवी नहीं रखी जायेगी)। (इस आशय का शपथ पत्र)
- प्रस्तावित नर्सिग संस्थान की सम्पूर्ण चरण की परियोजना लागत, बजट प्रावधान एवं वित्त के स्त्रोतों का विवरण। संस्था के बैंक खाते में न्यूनतम रू0 2.00 करोड़ जमा होना आवश्यक होगा।
- नर्सिग संस्थान में संचालित किये जाने हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रमों का विवरण प्रत्येक पाठ्यक्रम का शुल्क ढ़ांचा, संक्षिप्त पाठ्य सामग्री एवं रोजगारपकरता का विवरण।
- प्रस्तावक संस्था द्वारा इस आशय की घोषणा कि उक्त संस्था एवं उसके द्वारा संचालित किसी संस्था के विरूद्ध कभी भी कोई दण्डात्मे प्रक्रिया किसी भी न्यायालय में स्थापित नहीं की गयी तथा उक्त संस्था को केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा अन्य प्राधिकारी द्वारा कभी काली सूची में सूचीबद्ध नहीं किया गया।
- प्रत्येक कोर्स की 50 प्रतिशत सीटें राज्य सरकार द्वारा भरी जायेंगी तथा इस आशय का एक शपथ पत्र प्रस्तावक संस्था द्वारा दिया जायेगा कि वे कढ़ाई से इसका अनुपालन करेंगे।
- राजकीय कोटे की सीटों के अतिरिक्त अन्य सीटों पर भी प्रवेश हेतु केवल राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही प्रवेश मान्य होगा, इस आशय का भी शपथ पत्र प्रस्तावक संस्था को प्रस्तुत करना होगा।
- प्रदेश के स्थायी निवासियों को नर्सिग संस्थान में संचालित प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश में 50 प्रतिशत का आरक्षण रक्षा जायेगा। प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र दिया जायेगा कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेश संस्था को मान्य होंगे। यदि स्थायी निवासियों हेतु आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं तो राज्य सरकार की अनुमति से उक्त रिक्त सीटें अन्य अभ्यार्थियों से भरी जा सकती हैं।
- प्रदेश के स्थायी निवासियों को, जो समूह 'ग' एवं 'घ' श्रेणी के पदों हेतु योग्यता रखते हो, को इस श्रेणी के समस्त पदों पर नियुक्ति की जायेगी।

प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र दिया जायेगा कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेश को मान्य होंगे।

- निजी नर्सिंग संस्थान द्वारा राज्य सरकार की प्रवृत्त/समय–समय पर संशोधित आरक्षण नीति का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- प्रस्तावक संस्था द्वारा अपना निजी चिकित्सालय होने की दशा में या एफिलेटेड चिकित्सालय होने पर चिकित्सालय में क्रियाशील बैड की संख्या, विभागवार चिकित्सकों का नाम एवं पदनाम, समस्त नर्सिंग, पैरामेडिकल एवं अधीनस्थ स्टाफ की पूर्ण सूची एवं क्रियाशील होने की दशा में औसत ओ0पी0डी0 अधोनान्त माह, औसत आई0पी0डी0 अधोनान्त माह एवं लैब टेस्ट कुल अधोनान्त माह की संख्या का विवरण देना होगा। एफिलेटेड चिकित्सालय की स्थिति में चिकित्सालय के साथ प्रस्तावक संस्था द्वारा किये गये विधिक अनुबन्ध की एक सत्यापित प्रति भी देनी होगी। यह विधिक अनुबन्ध कम से कम पॉच वर्ष की अवधि हेतु होना अनिवार्य होगा।

7 निजी नर्सिंग संस्थान की स्थापना सम्बन्धी उपरोक्तानुसार प्राप्त होने वाले प्रस्तावों को 15 दिनों के अन्दर इस प्रयोजन हेतु शासनादेश संख्या–224/XXVIII(1)-16 /2007 (II Cover) दिनांक 21.02.2012 के अनुसार गठित उपसमिति के सम्मुख परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। जिस पर उपसमिति अपनी संस्तुति प्रतिवेदन देगी, जिस हेतु आवश्यकता प्रमाण पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र शासन द्वारा निर्गत किया जायेगा।

8. उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव।

संख्या–388 (1)/XXVIII(1)/2012-16(Para)/2007 TC एंव तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
4. मुख्य चिकित्साधीक्षक, दून चिकित्सालय, देहरादून।
5. गार्ड फाईल।

(विनीता कुमार)
प्रमुख सचिव।

: 329 /चि-2-2003-52/2003

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तरांचल, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 12 मार्च, 2003

विषय :- उत्तरांचल सरकार द्वारा उत्तरांचल में निजी क्षेत्र के पैरामेडिकल पाठयक्रमों (नर्सेज, रेडियोग्राफर तकनीशियन, लेबोरेटरी तकनीशियन आदि) के डिप्लोमा दिये जाने हेतु विद्यालय की स्थापना हेतु नीति विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल शासन द्वारा उत्तरांचल स्टेट मेडिकल फैकल्टी की स्थापना अधिसूचना संख्या 1518/चि0-2-2002-223/2002 दिनांक 07 नवम्बर, 2002 द्वारा जारी की जा चुकी है। उपरोक्त फैकल्टी उत्तरांचल में उत्तरांचल शासन द्वारा अधिसूचना संख्या 1519/चि0-2-2002-223/2002 दिनांक 07 नवम्बर, 2002 के द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत विभिन्न पैरामेडिकल पाठयक्रमों के प्रशिक्षण (नर्सेज, रेडियोग्राफर तकनीशियन, लेबोरेटरी तकनीशियन आदि) का संचालन करने में सक्षम होगी।

2- उत्तरांचल के निजी क्षेत्र में पैरामेडिकल डिप्लोमा दिये जाने हेतु शिक्षण संस्थाओं के खोले जाने हेतु निम्न श्रेणियों की संस्थाओं को अनुमति प्रदान की जायेगी :-

(1) क- राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र।

ख- केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा समर्थित स्वायत्तशासी निकाय।

ग- सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत सोसाइटीज भारतीय न्यास अधिनियम, 1882, वक्फ आदि के अन्तर्गत पंजीकृत धार्मिक अथवा धर्मार्थ सार्वजनिक न्यास।

(2) निजी क्षेत्र में पैरामेडिकल कोर्सेज जैसे नर्सिंग प्रशिक्षण, एक्स-रे टैक्नीशियन (रेडियोग्राफर) तथा लेब टैक्नीशियन प्रशिक्षण जो कि सार्टिफिकेट/डिप्लोमा स्तर के हों, हेतु स्थापित किये जाने वाली संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने पर तभी विचार किया जायेगा जब संबंधित आवेदक संस्था द्वारा राज्य चिकित्सा संकाय/संबंधित पैरामेडिकल परिषद/शासन के मानकों एवं शर्तो के अनुरूप भूमि एवं भवन, वित्तीय प्रबन्ध, चिकित्सालय इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली हो। नर्सिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम खोलने हेतु संबंधित संस्था को इण्डियन नर्सिंग काउन्सिल द्वारा निर्धारित मानकों एवं शर्तो के अनुसार भूमि, भवन, वित्तीय प्रबन्ध एवं चिकित्सालय आदि की व्यवस्था

सुनिश्चित करनी होगी तथा एक्स-रे टैक्नीशियन (रेडियोग्राफर, तथा लेब टैक्नी... प्रशिक्षण हेतु निजी संस्थाओं को राज्य चिकित्सा संकाय/शासन द्वारा निर्धारित मान... शर्तो के अनुरूप भूमि, भवन, लैब एवं उपकरण आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

(3) निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले पैरामेडिकल शिक्षण संस्थाओं को केवल उतनी ही सीटों पर प्रवेश की अनुमति दी जायेगी जितने के लिये उन्हें संबंधित काउन्सिल से अनुमति प्राप्त हुयी है एवं इस प्रकार आवंटित सीटों में उत्तरांचल शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति का पालन किया जाना संस्था का दायित्व होगा।

(4) निजी क्षेत्रों में खोले गये पैरामेडिकल शिक्षण संस्थाओं में भर्ती की प्रक्रिया उत्तरांचल राज्य संकाय नियमावली में प्रख्यापित नियमों के आधार पर होगी।

(5) निजी संस्थाओं से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार करने हेतु मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन की अध्यक्षता में एक कमेटी (इम्पावर्ड कमेटी) का गठन किया जायेगा जो निम्नानुसार होगी :-

1.	मुख्य सचिव	:	अध्यक्ष
2.	सचिव, वित्त	:	सदस्य
3.	सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य	:	सदस्य
4.	सचिव, चिकित्सा शिक्षा	:	सदस्य
5.	महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0	:	सदस्य/ संयोजक
6.	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, दून चिकित्सालय, देहरादून		सदस्य
7.	शासन द्वारा नामित विशेषज्ञ [नर्सिंग प्रशिक्षण कालेज, एक्स-रे टैक्नीशियन (रैडियोग्राफर), लैब टैक्नीशियन हेतु] यथाआवश्यकतानुसार		सदस्य

यह समिति आवश्यकतानुसार अन्य अधिकारियों/विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकती है। उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल डिप्लोमा/सार्टिफिकेट हेतु प्रदान किये जायेंगे जो कि राज्य चिकित्सा संकाय द्वारा शासन के निर्धारित मानकों के अनुसार दिये जायेंगे।

इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुति पर माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, उत्तरांचल द्वारा इस विषय पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

कृपया शासन के उपरोक्त निर्णयानुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने एवं यथावश्यक सर्वसाधारण के सूचनार्थ समाचार पत्रों एवं अन्य प्रसार माध्यमों से प्रसार कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
सचिव

संख्या : 329 (1)/चि-2-2003-52/2003 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।

(110)

प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।

3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।

4. मण्ड़लायुक्त, गढ़वाल/कुमॉयू मण्ड़ल, पौड़ी गढ़वाल/नैनीताल।

5. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तरांचल, देहरादून को प्रकाशनार्थ।

6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।

7. गार्ड फाईल।

38

-70/

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
अनु. सचिव

संख्या- /XXVIII-3-2010-98/2010

प्रेषक,

डा0 उमाकान्त पंवार
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
उत्तराखण्ड।

चिकित्सा अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक 21 सितम्बर, 2010

विषय: ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 आदि पाठ्यक्रम के संचालनार्थ निजी संस्थाओं को अनापत्ति दिये जाने एवं प्रयोगात्मक प्रशिक्षण हेतु राजकीय चिकित्सालयों में शैय्या उपलब्ध कराये जाने हेतु शर्तों/प्रतिबन्धों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 आदि पाठ्यक्रम के संचालनार्थ निजी संस्थाओं को अनापत्ति दिये जाने एवं प्रयोगात्मक प्रशिक्षण हेतु राजकीय चिकित्सालयों में शैय्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया/ शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्धारित समय सीमा के अनुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें:-

(अ) उत्तराखण्ड सरकार से अनिवार्यता प्रमाण पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना:

(1) निजी पैरामेडिकल/नर्सिंग संस्थानों के संचालनार्थ आवेदन किये जाने हेतु सम्बन्धित संस्था द्वारा रू0 1,000/- जमा कर महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड के कार्यालय से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रतिवर्ष 31 जुलाई तक प्राप्त किये जायेंगे।

(2) आवेदन पत्र को निर्धारित डी0पी0आर0 एवं अन्य अविश्यक प्रपत्रों को संलग्न कर रू0 25,000/- प्रति कोर्स की दर से आवश्यक धनराशि सहित प्रति वर्ष माह अगस्त तक जमा किया जायेगा, जो अगली जुलाई से प्रारम्भ होने वाले शैक्षणिक सत्र के लिये होगा।

(3) प्राप्त आवेदन पत्रों को महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अध्यक्षता में शासन से अनुमोदन के उपरान्त गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा परीक्षण के उपरान्त अनुपयुक्त पाये गये आवेदन पत्रों को विद्यमान कमियों को इंगित करते हुये निराकरण हेतु सम्बन्धित संस्था को 30 सितम्बर तक वापस कर दिया जायेगा एवं सम्बन्धित संस्था द्वारा आपत्तियों के निराकरण के उपरान्त 01 माह के अन्दर पुनः महानिदेशालय में विचारार्थ आवेदन पत्रों को प्रस्तुत किया जायेगा। इसके उपरान्त भी आवेदन पत्र अनुपयुक्त पाये जाते हैं, तो उन्हें निरस्त कर दिया जायेगा तथा संस्था द्वारा जमा किये गये आवेदन शुल्क को जब्त कर लिया जायेगा।

(4) समिति द्वारा उपयुक्त पाये गये आवेदन पत्रों को महानिदेशक की संस्तुति के साथ सम्बन्धित संस्थान के निरीक्षण के अनुमोदन हेतु प्रकरण प्रत्येक वर्ष माह नवम्बर के प्रथम सप्ताह तक सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को संदर्भित किया जायेगा।

(5) सम्बन्धित संस्थान के भौतिक निरीक्षण हेतु सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन से अनुमोदन के उपरान्त महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड द्वारा निम्नलिखित विवरणानुसार निरीक्षण हेतु एक समिति का गठन किया जायेगा:-

(i) अध्यक्ष, अपर निदेशक, चिकित्सा शिक्षा।

(ii) सदस्य, महानिदेशालय के संयुक्त निदेशक स्तर अथवा इससे उच्च स्तर का अधिकारी एवं सरकारी क्षेत्र से आवेदन की गयी विधा (subject) से सम्बन्धित एक कार्मिक।

(6) उक्त समिति द्वारा सम्बन्धित संस्थान का निरीक्षण 30 नवम्बर तक कर निरीक्षण आख्या महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को प्रस्तुत की जायेगी।

(7) महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड जाँच आख्या को समिति के सम्मुख परीक्षण हेतु प्रस्तुत करेंगे एवं मानकानुसार उपयुक्त पाये जाने पर अपनी संस्तुति के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनिवार्यता प्रमाण पत्र दिये जाने हेतु सचिव, चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड शासन को 31 दिसम्बर तक प्रस्तुत करेंगे।

(8) परीक्षण के उपरान्त समिति द्वारा निरस्त किये गये आवेदन पत्रों को कमियों के निराकरण हेतु 15 दिन का समय देकर प्रत्यावर्तित किया जायेगा। यदि निर्धारित समय के अन्तर्गत कमियों का निराकरण संस्था द्वारा नही किया जाता है, तो आवेदन पत्र को निरस्त कर जमा शुल्क विभाग द्वारा जब्त कर लिया जायेगा।

(9) महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड से प्राप्त प्रस्तावों को शासन स्तर पर इस हेतु गठित समिति के सम्मुख विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(10) समिति द्वारा सम्बन्धित संस्था को प्रश्नगत् पाठ्यक्रम हेतु अनापत्ति/अनिवार्यता प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने हेतु प्राप्त अनुमोदन के आधार पर सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन द्वारा सम्बन्धित संस्था को 28 फरवरी तक अनापत्ति/अनिवार्यता प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

(11) सरकारी संस्थानों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(ज) भारतीय नर्सिंग कौंसिल नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त करना:

(1) राज्य सरकार द्वारा संस्था को अनापत्ति/अनिवार्यता प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के पश्चात् सम्बन्धित संस्था द्वारा सम्बन्धित पाठ्यक्रम के संचालन हेतु भारतीय नर्सिंग कौंसिल से 31 मार्च तक अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(स) परिक्षा संचालन करने हेतु परीक्षा बोर्ड/विश्व विद्यालय/राज्य चिकित्सा संकाय से अनुमति प्राप्त करना:

(1) भारतीय नर्सिंग कौंसिल से पाठ्यक्रम के संचालन हेतु अनुमति प्राप्त हो जाने के उपरान्त संस्था को सम्बन्धित परीक्षा संस्था से 30 अप्रैल तक अनुमोदन प्राप्त करना होगा तथा उत्तराखण्ड राज्य नर्सिंग कौंसिल से भी 15 मई तक अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(द) राज्य नर्सिंग कौंसिल/राज्य चिकित्सा संकाय द्वारा निरीक्षण किया जाना:

(1) सम्बन्धित संस्था के प्रथम बैच के पूर्ण शिक्षा ग्रहण करने तक आई0एन0सी0 तथा उत्तराखण्ड राज्य नर्सिंग कौंसिल द्वारा संस्था का प्रति वर्ष निरीक्षण किया जायेगा तथा वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर अनुमोदन प्रदान किया जायेगा। इसके उपरान्त कौंसिल द्वारा संस्था का कभी भी आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकेगा, जिसके आधार पर अनुमोदन जारी रखने अथवा उसे निरस्त किये जाने पर भी विचार किया जा सकेगा।

(य) सरकारी चिकित्सालयों में शैय्याओं का आबद्धीकरण:

(1) किसी निजी संस्थान को अभ्यासिक प्रशिक्षण हेतु राजकीय चिकित्सालय की शैय्याओं की सम्बद्धता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जायेगी कि उस क्षेत्र में राजकीय संस्थाओं की स्थापना होने अथवा प्रश्नगत चिकित्सालयों में शैय्याओं की आवश्यकता होने पर शैय्याओं की सम्बद्धता 03 माह का पूर्व नोटिस देकर समाप्त कर दी जायेगी तथा निजी संस्थाओं द्वारा इस मध्य अपना स्वयं का चिकित्सालय स्थापित करना होगा।

(2) प्रशिक्षण संस्था को अपेक्षित संख्या में प्रयोगात्मक प्रशिक्षण हेतु शैय्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर सचिव, चिकित्सा द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(3) राजकीय चिकित्सालयों में उन्ही संस्थाओं को प्रयोगात्मक प्रशिक्षण हेतु शैय्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में विचार किया जा सकेगा, जिनके द्वारा सम्बन्धित प्रशिक्षण की 50 प्रतिशत सीटें उत्तराखण्ड शासन द्वारा भरे जाने, उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासियों के लिए निर्धारित शुल्क में 10 प्रतिशत छूट प्रदान किये जाने एवं संस्था में उच्च पदों पर नियुक्ति में उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासियों को वरीयता प्रदान किये जाने तथा श्रेणी तीन व चार के पदों को शत-प्रतिशत उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी

निवासियों से ही सेवायोजित किये जाने हेतु सहमति प्रदान करते हुये एम0ओ0यू0 निष्पादित किया गया हो।

(4) सम्बन्धित चिकित्सालयों में संस्था के सम्बन्धित पाठ्यक्रम के प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी रू0 2,000/- प्रतिमाह शुल्क संस्था द्वारा दिया जाना होगा, जिसे वार्षिक व्यय के रूप में सम्बन्धित चिकित्सालय के प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष के नाम बैंक ड्राफ्ट/चैक द्वारा प्रत्येक वर्ष वार्षिक प्रशिक्षण प्रारम्भ कराने से पूर्व जमा करना होगा। शैय्या सम्बद्धिकरण हेतु संस्था को चिकित्सालयों से सम्बन्धित पाठ्यक्रम की अवधि के लिये एम0ओ0यू0 करना अनिवार्य होगा।

(5) प्रशिक्षण संस्था के छात्रों द्वारा अभ्यासिक प्रशिक्षण प्राप्ति के समय यदि किसी प्रकार की अनुशासनहीनता या राजकीय चिकित्सालय की चल-अचल सम्पत्ति की क्षति की जाती है, तो इसका हर्जाना संस्था द्वारा भरा जायेगा एवं स्थिति विवादित होने पर अभ्यासिक प्रशिक्षण समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित चिकित्सालय की प्रबन्ध समिति द्वारा जीव आख्या महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड को उपलब्ध करायी जायेगी तथा महानिदेशक द्वारा प्रकरण पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

(6) निजी संस्थाओं द्वारा सम्बद्धता हेतु प्रतिवर्ष उक्त शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन 01 वर्ष की अवधि के लिये एम0ओ0यू0 निष्पादित किया जाना होगा. जिसे विभाग द्वारा 03 माह का पूर्व नोटिस देकर कभी भी समाप्त किया जा सकेगा।

भवदीय,

(डा0 उमाकान्त पंवार)
सचिव

संख्या- 724 /XXVIII-3-2010-98/2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2- रजिसट्रार, उत्तराखण्ड राज्य नर्सिंग कौसिल, देहरादून।
3- एन0आई0सी0/ गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(योगेश सिंह)
अपर सचिव

आज दिनांक 3.01.2012 को महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एंव प0क0 उत्तराखण्ड के निर्देशानुसार उनके कार्यालय कक्ष में प्रदेश मे खोले जाने वाले नये नर्सिग संस्थानों हतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के मानको के सम्बन्ध में एक बैठक आहूत की गयी जिसमे निम्नलिखित अधिकारियों ने प्रतिभाग किया ।

1. डा0जे0पी0भटट् महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0उत्तराखण्ड।
2. डा0 सी0पी0 आर्य, निदेशक (राष्ट्रीय कार्यक्रम) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उत्तराखण्ड।
3. डा0 भरत किशोर , निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
4. डा0 जी0एस0रौथान, स्टाफ आफिसर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय/रजिस्ट्रार स्टेट नर्सिग कांउसिल।

बैठक मे नये नर्सिग संर्वग के संस्थान खोले जाने हेतु अधिकारियो द्वारा निम्न बिन्दुओ पर विचार विमर्श किया गया–

1. निजी क्षेत्र में कालेज /स्कूल खोले जाने हेतु संस्था का निर्धारण ।
2. कालेज/स्कूल हेतु न्यूनतम आवश्यक भूमि की आवश्यकता/निर्मित भवन की उपलब्धता ।
3. संस्था की वित्तीय स्थिति ।
4. संस्था के पास उपलब्ध चिकित्सालयों में बेड की स्थिति ।
5. निरीक्षण हेतु टीम का गठन।

उपरोक्त बिंदुओं पर चर्चा, विचार–विमर्श एंव भारतीय नर्सिग परिषद नई दिल्ली द्वारा प्रख्यापित नियम/ मानको के परिपेक्ष में गहन अध्ययन कर निम्न मानक स्थापित करने हेतु निम्नानुसार प्रस्तावित कर संस्तुति की गयी जिसे विचारार्थ एंव अनुमोदनार्थ उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया जाना होगा।

1. आई0एन0सी0 के मानको के अनुसार निजी क्षेत्र में कोई पंजीकृत सोसायटी अथवा ट्रस्ट आवेदन कर सकती है। मानको में यह स्पष्ट है कि कालेज / स्कूल का नाम सोसायटी से अलग से इंगित हों।
2. आई0एन0सी0के मानको के अनुसार 03 एकड भूमि व लगभग 54470 वर्ग फीट निर्मित भवन की आवश्यकता होगी । भूमि का स्वामित्व ट्रस्ट/सोसायटी के नाम होना आवश्यक है। यदि भूमि लीज पर हो तो लीज डीड की अवधि कम से कम 30 वर्ष की अनुबंधित होनी आवश्यक होगी। लीज डीड भूमि स्वामी एंव सोयायटी/ट्रस्ट के मध्य होना आवश्यक है।
3. वित्तीय स्थिति के सम्बंध मे यह सुझाव दिया गया की भूमि के अतिरिक्त भवन निर्माण में होने वाला व्यय, प्रयोगशाला स्थापित करने मे होने वाला व्यय एवं समस्त स्टाफ का वेतन को उपलब्ध कराने की क्षमता हो । इसके लिये यह सुझाव दिया गया कि राष्ट्रीय स्व

नर्सिंग कालेज/स्कूल की स्थापना हेतु जो व्यय हुआ है उसको आंगणन कर न्यूनतम मानक के रूप में प्रख्यापित कर लिया जाय।

4. आई0एन0सी0 मानको के अनुसार कम से कम स्वंय का 120 बैड का चिकित्सालय होना आवश्यक होगा। यदि चिकित्सालयों से सम्बद्धता प्राप्त है, तो स्कूल/कालेज एवं चिकित्सालय के मध्य कम से कम 05 वर्ष की अवधि का रजिस्ट्रर्ड एग्रीमेन्ट होना आवश्यक होगा। सम्बद्ध चिकित्सालयों में कम से कम 50 बैड का होना आवश्यक होगा। आई0एन0सी0 मानको के अनुरूप इन चिकित्सालयो में मेडिसन के 30 बैड, सर्जरी 30 बैड , प्रसूति के 20, नवजात शिशु के 20, अस्थिरोग के 10, न्यूरों के 10 बैड होने आवश्यक होगें। इन चिकित्सालयेा में बैड एक्यूपैन्सी 70 प्रतिशत होनी आवश्यक होगी एवं चिकित्सालयों की दूरी संस्था से 30 कि0मी0 की परिधि से अधिक न होगी। इस विषय में स्पष्ट है कि प्रत्येक परिस्थिति में आई0एन0सी0 मानको के अनुसार सीट एवं शैययओं का अनुपात 1:3 से किसी भी दशा में कम न होगा।
5. निरीक्षण टीम में एक अधिकारी चि0शि0 से, एक राजकीय नर्सिंग संस्थान का प्रधानाचार्य एवं सम्बन्धित जनपद का मुख्य चिकित्सा अधिकारी को टीम में सम्मिलित किया जाय।
6. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सम्बन्धित संस्थान ₹ 100-00 के स्टाम्प पेपर पर एक नोटिराइज्ड शपथ पत्र भी प्रस्तुत करेंगें जिसमें यह अभिलिखित होगा कि वह संस्थान राज्य सरकार, चिकित्सा विभाग, भारतीय नर्सिंग परिषद, राज्य नर्सिंग परिषद तथा परीक्षा आहूत करवाने वाली संस्था के सभी नियमों का पालन करने हेतु प्रतिबद्ध रहेगी।
7. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि संस्थान स्वीकृत सीटों के सापेक्ष समस्त कोर्सो मे पचास प्रतिशत सीटें राज्य सरकार को आवंटित करेगा।

(सी0पी0 आर्य) (भरत किशोर) (जी0एस0रौथान)

(जे0पी0भटट)

उप सचिव।